भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 118

उत्तर देने की तारीख: 25.11.2024

वक़्फ़ द्वारा अधिगृहीत भूमियों के संबंध में शिकायतें

118. श्री घनश्याम तिवारी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वक़्फ़ द्वारा अधिगृहीत भूमियों के बारे में विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें वक़्फ़ ने अवैध रूप में भूमि अधिगृहीत की है, तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शिकायतों में से कितनी शिकायतों का निपटान मौजूदा वक़्फ़ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (ग): संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार, किसी राज्य में सभी वक्फ संपत्तियों का सामान्य पर्यवेक्षण राज्य वक्फ बोर्ड (SWB) के पास है और राज्य वक्फ बोर्ड (SWB) को वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने का अधिकार है। मंत्रालय और केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC) को समय-समय पर वक्फ संपत्तियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं और उन्हें उचित कार्रवाई के लिए संबंधित SWB और राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है। केंद्रीय वक्फ परिषद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1	2022	244
2	2023	119
3	2024	125

*****